

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विभागाध्यक्ष, पंजाब 2. वर्तमान धारित पद आ निदेशक

3. वर्तमान वेतन 70400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जिला मथाल दरसील डेयर रजोर-गोर	गोणसीय 2105	-	1155 1155 83000	खुद ही	खुद ही प्राप्त 15057.82008	-	उदात्त आर्थिक संशोधन रक्ष की	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अलकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेमुभी-926-अससाप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर Asim Kumar

नाम विभागाध्यक्ष, पंजाब

पद उप निदेशक

विभाग शासकीय प्रशासन विभाग (आ.प्र.)
आर.डी. मथाल

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019 15/11/2019 से 31/12/2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पेरिसिया जर्जिया 2. वर्तमान धारित पद उपनिर्देशक

3. वर्तमान वेतन 90400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जिला - ओरिसा देहात डिवीजन सिपिसोर्ट-2	भागावधीय शे-2905 G1552.62 करीबीट	-	2155452 शुद्ध	शुद्ध नाम	कुल रिया 1111 वसि 2012 में अधिल विवास प्राप्तिकर अधिल	-	उपरोक्त धारित से भागावधीय आय	

हस्ताक्षर

नाम पेरिसिया जर्जिया

पद उपनिर्देशक

विभाग आरक्षित डिवीजन
संलग्न अधिल

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक महत्तम की अवधि के पर्याप्त-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबत सम्पत्ति का विवरण, वर्ष-20 (1-1-19 से 31-12-19)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो व्यंगद शर्मा 2. वर्तमान धारित पद इंटेन्सिभिवर

3. वर्तमान वेतन 60900 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख अक्टूबर, 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जयपुर, कोलार रोड, ओपाल	अपन (19x40) फीट	-	32 लाख अगस्त	व्यंग के नाम पर	कपड़े 9,25,000/- से उज्ज्वल एडिजिटेड फर्निचर ग्राहक से अक्टूबर, 2007 के समय किया। बैंक, लोन, सीएलए आतासी, सलूर से अक्टूबर के व्यंग की बचत के रूप किया।	NIL	कम की अक्टूबर की अगली	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबत सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Shamendra
 नाम व्यंगद शर्मा
 पद इंटेन्सिभिवर
 विभाग आवकिया बुद्ध नया कोलार (1900)
अक्टूबर ओपाल

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 19 से 21-12-19 से

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक जलमवार 2. वर्तमान धारित पद सुबेडार 5101क
3. वर्तमान वेतन 51000/- P.M. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<u>निर्दिष्ट</u>								

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]

नाम अशोक जलमवार

पद सुबेडार 5101क

विभाग श्री. सुबेडार जेडी नौदल -
- सामग्री मं. उ. शोधाल

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019/20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कॉन्स्टेबल प्रोविजिया 2. वर्तमान धारित पद सहायक प्रोविजिया

3. वर्तमान वेतन 216100/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	(1)	(2)						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	V-3 डिपस्टी मिथम निज नाग, मीपल	इलेक्टर	-	50000	वर्क एंड पर्सनल नाम	SBI बोनस	Nil	
	क्र.सं. 206 इजनास मार्टिन आरा दिव्य मीपल	इलेक्टर	-	38000	वर्क एंड पर्सनल नाम	SBI बोनस	Nil	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संस्पर्ध में लागू मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेसुभा-926-असमाप्ति-22-10-09-15,000.

28-1-20

हस्ताक्षर [Signature]
नाम कॉन्स्टेबल प्रोविजिया
पद सहायक प्रोविजिया
विभाग आर.एस.एस. ऑफिस रीजनल सिविल
महाराष्ट्र

पत्रार्थ

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2019 (1-1-2019 से 31-12-2019 तक रिपोर्टिंग)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **राधा शिखर वर्मा**

2. वर्तमान धारित पद **सहायक जे.डी.**

3. वर्तमान वेतन **एडि 45,100/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **15/07/2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जिला अजमेर गडलीख-डुखर कैलाश नगर जाम देवराजवाड़ा अजमेर	आवास कान्ठवा	-	गाईजा लाइज अबुसार	अजमेरी आगली वर्मा (पत्नी)	स्वयं द्वारा वर्ष 1995 स्वयं की खुशी से आपस से सिद्ध	-	जैसलमेर मुआवजा राशि सिद्ध एवं स्वयं की वचन से पुनः अर्जन केवल द्वारा	

* जहां लगा न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

दिए गए : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक महिने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के व्योरे दें।

शाकेसुभो-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर **Dr. J. S. Singh**
 नाम **राधा शिखर वर्मा**
 पद **सहायक जे.डी.**
 विभाग **जाम देवराजवाड़ा अजमेर**
राधा शिखर वर्मा
जाम देवराजवाड़ा अजमेर

फारम

***प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20१७**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **क. डेनईदला हाथेद** 2. वर्तमान धारित पद **इलाहाबाद**

3. वर्तमान वेतन **46100/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01.07.2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				None			

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अलसकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेसुभो-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर **[Signature]**
 नाम **क. डेनईदला हाथेद**
 पद **इलाहाबाद**
 विभाग **अपराध शास्त्र विभाग**
इलाहाबाद

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबत सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 15

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो दिनांक 20-11-2015 शालाबाई साहू पति दो
2. वर्तमान धारित पद सहायक पति
3. वर्तमान वेतन ₹ 45,300/- आवृत्ति वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
डी. 5 फास्ट-यूनियन अर्जुन भवन भारतवादी नगर निगम एट सी.ए. डूबूर. पिबल्ला - श्रीपालु फ. 5. 462042	भवन	-	₹ 45,00,000/- आवृत्ति	स्वयं प्राप्त पति- सायुज्य	स्वयं प्राप्त पति की अच्छा प्रदं धंधके मौज में फंड अर्जित किया गया	-	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबत सम्पत्ति के ब्यौरे दें।
 हस्ताक्षर पिबल्ला
 नाम दिनेश्वर शालाबाई
 पद सहायक पति
 विभाग श्री. सु. शा. तालु. निरखण सामुदाय
 फ. 5. श्रीपालु

फारम

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो *Dr. Shrihari Shrivastava* 2. वर्तमान धारित पद *Dr. Shrihari Shrivastava*

3. वर्तमान वेतन *148100/-* अगली वेतनवृद्धि की तारीख *1.7.2020*

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>E/2 Bhandaryan District Bhandaryan Muzam</i>	<i>भूमि</i>	<i>—</i>	<i>111 रु बाईन अनुवद</i>	<i>बेगम किशन पुत्र</i>	<i>(1) बी.पी.एल. से (2) गैर बीड में 2.4.1954 (3) बेगम की पत्नई से (4) कानून निदेशावली से पहलाज बालरू के उपाधु अर्जित</i>	<i>—</i>	<i>—</i>

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेसुभा-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर *Dr. Shrihari Shrivastava*
नाम *Dr. Shrihari Shrivastava*
पद *Dr. Shrihari Shrivastava*
विभाग *Dr. Shrihari Shrivastava*

4

फारम

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019 (डि. 1-1-19 से 31-12-2019 तक)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह होकीपती सोलन शानिख 2. वर्तमान धारित पद स. डी. 2

3. वर्तमान वेतन ₹. 48,100/- Pm अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिधुनित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1- जगम भांडा, रामदेव, नर-हुजूर, जिला गोपाल, सदावर्धन, सेक्टर-A, लाना, - 254	—	लाना 25X40 5/8 feet	लगाभान 15 लाख	—	—	शानिख सी. डी. सो. से भ्राना किआ	जिल	—
2- जगम - महाबांडा कोलार रोड, शांडा कारखाना, जगमिथ गीन - गोपाल	इंजिनियर	—	लगाभान 40 लाख	पति एवं स्वयं के नाम पर	L.I.C. के लोन एवं स्वयं की बचत EPF, पंजिगी	जिल	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगाया मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभिवल की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेमूभा-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

29-01-2020

हस्ताक्षर डी. 29/01/2020
 नाम शानिख सोलन शानिख
 पद स. डी. 2
 विभाग विद्युतक शानिख, तथा कोलार

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती इशारा देवी 2. वर्तमान धारित पद स्कूल का टीचर
 3. वर्तमान वेतन 148100.00 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अस्थकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाके.मु.भी-926-अससाप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर श्रीमती इशारा देवी
 नाम श्रीमती इशारा देवी
 पद स्कूल का टीचर
 विभाग विभागाध्यक्षक शासकीय अंतरिक्ष सेवा
विश्वनाथ गामादी अंचल

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019 (दि० 1-1-2019 से 31-12-2019)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ओपीनड सिड सिंसोदिया 2. वर्तमान धारित पद सहायक जेड-2

3. वर्तमान वेतन 48,100/- DA ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिभुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	ओपीनड सिडिया ग्राम हलाडिखेडा आनन्द नगर ओपीनड	बहई 25'x40' टलाह पर निर्मित	-	25 लाख	स्वयं की भासा	स्वयं की भासा न.पी.एड फसनल गेज रक्ष फिलान्सी से प्राप्त राशि से।	-	-

हस्ताक्षर Shivada 16/1/20

नाम ओपीनड सिड सिंसोदिया

पद सहायक जेड-2

विभाग आनन्द नगर निरवकाश कार्यालय
अहमदाबाद, ओपीनड

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।
शाकेमुभी-926-अससाप्रावि-22-10-09-15,000.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकांश कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती अरोख कुशावहरी 2. वर्तमान धारित पद साहायक अ. अ. अ.

3. वर्तमान वेतन ₹ 1,00,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
					बैंक			

हस्ताक्षर

नाम श्रीमती अरोख कुशावहरी

पद अ. अ. अ.

विभाग साहायक अ. अ. अ. विभाग

फारम

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019 (दि. 1-1-19 से 31-12-19 तक)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री अरि कुमुदा अर्जन 2. वर्तमान धारित पद अकाउंटन्ट
 तैय्य अर्जी सिफिकेकरीज
 3. वर्तमान वेतन 44800/-..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020.....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राह्य का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
ग्राम नं० 1309/1310 गौरी नं० 3 बार्ड का गौरीवा धारापुर तहसील तिला जालंधर	गबल	-		लक्ष्मण 58 लाख	पति एवं स्वयं 08 लाख पर	स्वयं- श्रीमती अश्वला गौरीवा धारापुर	निल	अनुमानित राशि 000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

* जहां लगान न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यन्तकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 मध्यदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के व्यौर दें।

शाकेसंभोग-926-अससप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर K. Balanarayan
 नाम श्रीमती कुमुदा अर्जन
 पद अकाउंटन्ट
 विभाग शा. कुमुदा अर्जन तहसील तिला जालंधर

28-1-20

पत्रार्थ

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है DRAN 2197 2. वर्तमान धारित पद SENIOR J.S-2

3. वर्तमान वेतन 41000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जिला भोखला एस 2205 210520	घर	-	210520	रखी	व्यक्ति	व्यक्ति	-	-

हस्ताक्षर [Signature]

नाम DRAN 2197

पद SENIOR J.S-2

विभाग DRAN 2197 (M) - 210520

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अत्यन्तकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थापित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फारम

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2011-2019 से 31-12-2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : जार्ज एच. डी. 2. वर्तमान धारित पद : सहायक डी.डी.

3. वर्तमान वेतन रुपये 46,700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई, 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
ओपिया, डूंडूर, ओपिबदपुर.	Flat	जहाँ	रु. 15,00,000/-	रुपये 2,00,000/- (2016-1997)	बुद्ध कोजको, 25000/- रुपये एवं पत्नी के सी० अर्जित, शोध बचत शिक्षा से रु. 22 कि. 211	-	-	

हस्ताक्षर : [Signature]

नाम जार्ज एच. डी.

पद सहायक डी.डी.

विभाग जि.डी.ओ. सुदूर नग्रा लेखन शाखा
कोटा, ओपिया.

* जहाँ लागू न हो काट सीजिए।
** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
दियुक्ति : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्धीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके ख्यातिवत् की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।
शाकेसुभा-926-अससाप्राव-22-10-09-15,000.

प्राप्त

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुजीता कारिडे (गैरिफिक कर्मी) 2. वर्तमान धारित पद सहायक अंडर टी
3. वर्तमान वेतन 44,800/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	(1)	(2)						
<u>अहमदनगर</u>	<u>अहमदनगर, 269 गांधी रोड फ्लैट-3 अनासुरगिरि नरसीम-हनुमंत विना अहमदनगर</u>			<u>26,00,000/-</u>	<u>स्वयं</u>	<u>श्री 25-07-2018</u> <u>श्रीक लोका ऑ.पी.एस.</u> <u>अं अनासुरगिरि एवं स्वयं अहमदनगर</u>	<u>बिना</u>	<u>व्यक्तिगत अं अहमदनगर की अं</u>

* जहां लगान न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगानमा मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेसुभा-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर शुद्ध
 नाम सुजीता कारिडे
 पद सहायक अंडर टी
 विभाग सहायक अंडर टी अहमदनगर
क.उ. अ.स. अहमदनगर

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है अज्ञोक्त फुल टाइम एजिडेंट 2. वर्तमान धारित पद अहासक डेप्युटी

3. वर्तमान वेतन ₹ 28,000-10,260/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख अगस्त 2019

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	गृह	असस्टेड	₹ 22,00,000			भारतीय स्टेट बैंक कोयड इरिड्या से शूट अर्जित हुआ विष्णु वापस।		

29-152 फल्लोवा-
पुनर कावर्जिक करण
डेप्युटी अहासक

जहां लागू न हो काट दीजिए।
* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
**** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल संपत्ति के ब्यौरे दें।

शाकमुभी-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर
नाम अज्ञोक्त फुल टाइम एजिडेंट
पद अहासक डेप्युटी

विभागाध्यक्ष, अहासक डेप्युटी
नाम अहासक डेप्युटी
पद अहासक डेप्युटी
दिनांक 04/05/2019

पनाम

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 दिनांक 1-1-2019 से 31-12-2019 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री राजा चौरा 2. वर्तमान धारित पद शहादत प्रोड-III

3. वर्तमान वेतन राशि 41,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				जिन्हा			

* जहां लगान हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगान मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेसुभो-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर

Shankar Prasad

नाम श्री राजा चौरा

पद शहादत प्रोड-III

विभाग निर्माण, सुदूर तलाश और विकास
शासनालय, आंध्र, ओपारन.

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

शेखर प्रसाद - 3

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्रीमती सांझा पवार
2. वर्तमान धारित पद : श्रेणीक और - 3
3. वर्तमान वेतन Rs. 11,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : जुलाई 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
श्रीपाल विकास	शुद्ध		14,40,000	स्वयं देनाम				वर्षाव में
प्रतिकारण द्वारा रखी	968.40	वर्गफुट		दिनांक 30-3-2016				काट कर
शेखर श्री ग्राम पीपलमिर				दी-ऊपर विवरण				करने की ध्यान
पदवी ईकाच नं 4				जभा अडन की				दी गई है
दहसीम दुधार भिवा				मरुत एवं एवा.आई				
भीवाख				21 बालिन लोड				
				अथ अर्थात्				

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

Date - 5-2-2020

नाम : शेखर प्रसाद
 पद : श्रेणीक और - 3
 विभाग : शिक्षण, संस्कृत तथा वैदिक साहित्य, ए. ए. और आर. ए.

हस्ताक्षर : श्रीमती सांझा पवार

फारम

***प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो *अंशु वंशु चंदा*
2. वर्तमान धारित पद *अ.सहायक अ.सहायक*
3. वर्तमान वेतन *14,20,000/-*

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिभूयित
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
ग्राम - चौड़ी जिला - मोनाल	घाँट	—	12,50,000/-	—	उसी प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	—	—	
ग्राम चौकी जिला - मोनाल	घाँट	—	7,50,000/-	अर्जित जीवधारित (पत्नी)	उसी प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	—	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगाया मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेभू—926—अससाप्रवि—22-10-09—15,000.

हस्ताक्षर *Sunder*
 नाम *अंशु वंशु चंदा*
 पद *अ.सहायक अ.सहायक*
 विभाग *अ.सहायक अ.सहायक*


फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 201९

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **डीप्ट. ऑफ़र बिडिंग**
2. वर्तमान धारित पद **असिस्टेंट सी. ए. ऑफ़र**
3. वर्तमान वेतन **38,500/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **11.11.2020**

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	(1)	(2)						
		गणना	-	34 लाख 50 हजार	-	रंगम की अस्थान आई ई अर्द्ध दोकर एवं धंके ई एंठन दोकर अथ विभाग 212117		

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर 
 नाम **डीप्ट. ऑफ़र बिडिंग**
 पद **असिस्टेंट सी. ए. ऑफ़र**
 विभाग **असिस्टेंट सी. ए. ऑफ़र**

01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019

प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो च-50 नं बंगलूर (निविड वर्गीय) 2. वर्तमान धारित पद का नाम और 3. वर्तमान वेतन रुपये 49,500/- अन्य बोनस 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिभूयिता
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बक्रान जं. I-08 पर्यभाज-जीन पार्सि कालोनी, अशोक गार्डन, कोर ओपनल (अन्य)	भवन (बक्रान)	-	Rs. 17,00,000/- (Rs. Seventeen Lac.) only	स्वयं	बंक लोन रु 5.8-F. आदि.	NIL	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।
 शाकेमुभी-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.
 हस्ताक्षर...
 नाम चक्रान बाबुसर
 पद सहायक जे-3
 विभाग शासकीय उद्योग तथा वसाय
 सानगी जेपान (अन्य)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20१७

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री प्रदीप पावरी ओडरा 2. वर्तमान धारित पद इंजिनियर
3. वर्तमान वेतन 36,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 31 मार्च 2020 के बाद निरव

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जाम नयापुरा प.ड. नं. 38	गड्ड	-	लगभग 18 मीटर	बालू एवं पत्थर के बीच में	श्री प्रदीप पावरी पत्नी श्री प्रदीप पावरी आदि से प्राप्त रकम की धारणा ए.सी. नं. 9, 25000/- वर्ष 2008 मेसर्स उजावण इंजिनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल कंसल्टिंग एंड कॉन्सल्टिंग	-	-	

हस्ताक्षर P. Pradeep

नाम श्री प्रदीप पावरी ओडरा

पद इंजिनियर

विभाग निष्पन्न शा. इं. तथा करिंग

नाम गी ओडरा

* जहां लगाने न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगाना मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फारम

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शहजाद खान
2. वर्तमान धारित पद इन्सपेक्टर
3. वर्तमान वेतन 25,100/- + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभिभूयुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	गृह	-	2500000	पति के नाम पर	पति के नाम पर	-	-

शहजाद खान
असस प्रावि
अध्यापक

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
दियुक्ति : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेसुभा-926-अससाप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर शहजाद खान 20.2.20
नाम शहजाद खान
पद इन्सपेक्टर
विभाग असस प्रावि

फॉर्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 (दिनांक 1-1-2019 से 31-12-2019)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विनीत कुमार 2. वर्तमान धारित पद कंसल्टेंट जेनरल

3. वर्तमान वेतन 33100/- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

गिरा

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगायत मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेमुभा-926-अससाप्रति-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर विनीत कुमार

नाम विनीत कुमार

पद कंसल्टेंट जेनरल

विभाग कंसल्टेंट जेनरल

समाप्ति, स.प्र. आणन

प्रारंभ

***प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019-20**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो उत्तराखण्ड विद्यापीठ 2. वर्तमान धारित पद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर

3. वर्तमान वेतन 35,100 आगामी वेतनवृद्धि की तारीख 01-7-2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Signature

हस्ताक्षर

नाम विभागाध्यक्ष
पद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर
विभाग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहली श्रेणी की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभिमूल्य की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फार्म

***प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019-20**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अरविन्द्र सिंह पण्डित (नर्सरी प्रोबलियन फिफ्थ ग्रेड)
 3. वर्तमान वेतन 32100..... आगामी वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2020.....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जाम - भईपड़ा बजारा पट्टा नं० 16 राजगढ़ तहसील गठमंडल 02 किलोमिटर कांटा नहमीला इन्टर जामा - भौपल	—	भूमि प्रमत्त 05 भांड 209/2/1/ख 210 का भूखंटा गंगा क्षेत्र 1200 वर्ग फीट प्र. 2705 भांड 95-96	346000/-	ए 92 के नाम	प्राप्त की अवधि के समय लोहापट्टी के नाम से कर एवं भाला जी एवं सुमराल पर अर्जित है प्र. नं० 23-03-15 श्री राम चरण चंदा प्रो. श्री प्रदीप चंदा प्रो. प्र. नं० 3119 प्र. नं० 1193 रामा शंकर भौपल (क. 6)	प्र. 92	प्र. 92

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अलकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार प्रत्येक महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथ्य उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।
 शाकेमुभी—926—अससाप्रवि—22-10-09—15,000.

हस्ताक्षर
 नाम अरविन्द्र सिंह पण्डित
 पर 27/07/20
 विभाग नर्सरी प्रोबलियन फिफ्थ ग्रेड
गठमंडल

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019-20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : अभिषेक शर्मा 2. वर्तमान धारित पद : सहायक प्रो. III (B)

3. वर्तमान वेतन : 24,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01/07/20

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	(1)	(2)						
		<u>घर</u>	<u>550 वर्ग फीट</u>	<u>11,000/-</u>	<u>स्वयं के नाम पर</u>	<u>पट्टा</u>	<u>निरंक</u>	

हस्ताक्षर : Balwals 27/01/20

नाम : अभिषेक शर्मा
 पद : सहायक प्रो. III
 विभाग : शां. मुं. तथा शैक्षणिक
औपचारिक

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्थ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रंजित शिंदे
2. वर्तमान धारित पद रिजर्व प्रिन्सिपल
3. वर्तमान वेतन 297000+DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1.7.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

रंजित शिंदे

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेसुभो-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर *रंजित शिंदे*

नाम रंजित शिंदे

पद रिजर्व प्रिन्सिपल

विभाग विद्यार्थक शिबिर शिबिर

रिजर्व प्रिन्सिपल

फारम

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

रामसहाय चौधरी

2. वर्तमान धारित पद

सहायक जेड ग्रा

3. वर्तमान वेतन

23100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
कन्या सुभाषनगर बहासपुर अबलपुर	भवन 880वर्गफुट हाउसिंग कॉर्ड इस	—	220000/-	खुदा	507 जमीन डरर मोन गारु कर	—	—	

हस्ताक्षर  23/07/2020

नाम रामसहाय चौधरी

पद सहायक जेड ग्रा

विभाग कन्या सुभाषनगर बहासपुर

अबलपुर (अ.प.)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के व्यौरे दें।

फॉर्म


*प्रथम नियुक्ति के समय अयल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019

- (1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा कालान्तरे जिसमें वह हो वही एक कुमांर रायकवार (2) वर्तमान धारित पर सहायक ग्रेड-3
(3) वर्तमान वेतन 26200..... (4) अगली वेतन बृद्धि की तारीख 01-07-2020

उस जिले, उप संभाग/गासुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि सदा के नाम पर न हो तो बालाहरी कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका सार्वकीय कर्मचारियों से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अधिगत किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा उपर्ण की तारीख और जिससे अधिगत की गई है उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
01	02	03	04	05	06	07	08
1-ग्राम सेवलिया ऑकरा भीपाल	-	फाट	600000/-	स्वयं	माता जी द्वारा एवं स्वयं की बचत से क्रय किया	कुछ नही	
2-ग्राम सेवलिया ऑकरा भीपाल	-	फाट	300000/-	स्वयं		कुछ नही	

- जहाँ जग न हो फाट बोलिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही विवरण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बालाहारा पाय
- इसमें अनसूचित पट्टे भी दर्शाए जा सकते हैं

टिप्पणी : कयाप्रवेश सार्वकीय सेवा (अध्यापक) नियम 1969 के नियम-18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सहायक से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पदवी नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार नवीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पर भरकर प्रस्तुत करें और उसके बाद उसके सहायित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अयल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर 
 नाम :- वीपक कुमांर रायकवार
 पद :- सहायक ग्रेड-3
 विभागा :- नियंत्रक सार्वकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भंडार भीपाल

प्राप्त

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष 2019

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री. श. लोभर 2. वर्तमान धारित पद श्री. प्रो. - III
3. वर्तमान वेतन 30,300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	MIL						

* जहां लगान हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर में लगाना मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

**** मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थापित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर N. Pradhan
 नाम श्री. लोभर
 पद श्री. प्रो. - III
 विभाग श्री. लोभर निरक्षण शा.अ.अ.अ.

फारम

*प्रथम नियुक्ति के समय अबत सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 (द्विनांक 1-1-2019 से 31-12-2019 तक)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पिताम्बर पाठे
2. वर्तमान धारित पद सहायक अड-3
3. वर्तमान वेतन 19500 - 62000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अधिनियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

पिताम्बर

हस्ताक्षर पिताम्बर पाठे
नाम पिताम्बर पाठे
पद सहायक अड-3
विभाग सुप्रीम तथा टैरिफ संभागा

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
दियुक्ति : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2019-20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीवान कुंझवाह 2. वर्तमान धारित पद सहायक डेप्युटी

3. वर्तमान वेतन 19,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	(1)	(2)						
	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

हस्ताक्षर Saver

नाम श्रीवान कुंझवाह

पद सहायक डेप्युटी

विभाग शासकीय कुंझवाह तालुका जेठवन

श्रीवान अ.प्र. ओ.प.र.

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्थ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।